निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 649) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

21 अप्रील 2015

सं0 22/नि0सि0(वीर0)–07–06/2012/928––श्री राम कैलास दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, सोन नहर आधुनिकीकरण अंचल, डिहरी (रोहतास) के विरूद्ध सिंचाई प्रमंडल, सहरसा के पदस्थापन अवधि के दौरान बरती गयी निम्नांकित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1837 दिनांक 04.12.14 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

आरोप –1. अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल, कोशी योजना, सहरसा के निदेश के बावजूद आपके द्वारा राजपुर शाखा नहर के बिन्दु 3.0 से निःसृत स्कैप चैनल का पूर्व का अनुसंधान प्रतिवेदन एवं भू–अर्जन नक्शा उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि स्थल पर 10.0 आर0 डी0 तक पूर्व में चैनल की खुदाई एवं ग्रामीण नक्शा पर भू–अर्जन अंकित है। आपको यह भी निदेशित किया गया था कि पुराने अभिलेख नहीं मिलने की स्थिति में नये सिरे से अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार कर भू–अर्जन से संबंधित प्रस्ताव दें। परन्तु इसमें भी रूचि नहीं ली गयी। फलस्वरूप इसका कार्यान्वयन लंबित रहा।

2. शंकरपुर लघु नहर के वि0 दू0 पर निर्माणाधीन संरचना हेतु बार–बार स्मारित करने पर सही Hydraulic Data एवं दिशा निर्देश के पश्चात निरूपित कर आलेख्य स्वीकृति के लिए उपस्थापित नहीं करने के कारण यह संरचना कार्य लंबित रहा। इस दिशा में दिनांक 30.01.11 को हुई बैठक से ही स्मारित किया गया। परन्तु आपके द्वारा रूचि नहीं लेने के कारण विगत (एक) साल से लंबित रहा, जबकि यह आश्वासन से संबंधित मामला है।

3. सहरसा उप शाखा नहर एवं अमरपुर वितरणी में कार्यों से संबंधित कार्य मापपुस्त में दर्ज होने के पश्चात भी पूर्ण भुगतान नहीं होने की स्थिति में संवेदक की शिकायत पर जॉच हेतु कोई भी उल्लेख उपस्थापित नहीं किया गया। पुनः सम्पूर्ण मापीपुस्त से लेकर देय भुगतान हेतु माह फरवरी, 2011 से ही विभिन्न बैठकों से स्मारित करने के पश्चात लंबित रखा जिससे कि संवेदक में असंतोष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि आप अपने अधीनस्थों पर उचित नियंत्रण नहीं रख सके एवं स्वयं भी रूचि नहीं लेने एवं बहाना बनाकर कार्य लंबित रखने का प्रयास किया।

4. आपके द्वारा मुख्यालय से बराबर बिना अनुमति के आवेदन पत्र भेजकर बाहर जाने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त वर्णित स्थिति में आपके विरूद्ध सिंचाई प्रमंडल, सहरसा के पदस्थापन अवधि में कार्यों में रूचि नहीं लेने के कारण कार्यालीय अव्यवस्था एवं पूर्वी कोशी नहर प्रणाली E R M कार्य में गतिरोध पैदा करने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

उक्त पत्रांक 1837 दिनांक 04.12.14 के आलोक में श्री दास द्वारा जवाब में निम्नांकित बिन्दु प्रस्तुत किया गया है:–

1. अधीक्षण अभियंता के निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अधीक्षण अभियंता, सभी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के साथ नया एलाइन्मेंट का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया। सर्वेक्षण में ग्रामीणों के विरोध के बावजूद सर्वेक्षण कार्य जारी रहा। ग्रामीणों के विरोध की सूचना मुख्य अभियंता / अभियंता प्रमुख को प्राप्त शिकायत पत्र के अवलोकन से किया जा सकता है। सर्वेक्षण कार्य पूरा होते ही नया अनुसंधान प्रतिवेदन के साथ वि0 भू0 पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा को पत्रांक 390 दिनांक 15.03.11 को समर्पित किया गया एवं उनके आपत्तियों का निराकरण पत्रांक 771 दिनांक 04.07.11 से किया गया। अतएव इसमें अभिरूचि एवं कार्य लंबित रखना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। इस निराधार आरोप से मुक्त रखा जाय।

2. शंकरपुर लघु नहर के अधीक्षण अभियंता के पत्रांक 878 दिनांक 18.07.09 के आलोक में प्रमंडलीय पत्रांक 1182 दिनांक 03.10.09 को ही समर्पित था। लंबे अवधि के बाद टीपीकल नक्शा एवं हाईड्रोलिक डाटा समर्पित करने का मौखिक निदेश अधीक्षण अभियंता द्वारा दिया गया जिसके क्रम में पत्रांक 694 दिनांक 20.06.11 से टीपीकल नक्शा अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया। कार्यपालक अभियंता, रूपाकंण प्रमंडल–1, वीरपुर के पत्रांक 111 दिनांक 10.08.11 से कतिपय सुधार की सूचना पर पत्रांक 973 दिनांक 19.08.11 से ई0 राजा रंजीत सिंह, सहायक अभियंता को कंडिकावार आपत्ति का निराकरण करने तथा व्यक्तिगत सम्पर्क कर स्वीकृत आलेख्य प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया। दिनांक 11.10.11 को सहायक अभियंता से प्राप्त स्वीकृत आलेख पत्रांक 1223 दिनांक 15.10.11 द्वारा अधीक्षण अभियंता को समर्पित किया गया। मुख्य अभियंता के स्वीकृति के उपरांत कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल–1, वीरपुर के पत्रांक 15 दिनांक 01.02.12 से प्राप्त पत्रांक 1296 दिनांक 03.02.12 द्वारा I V R C L हैदराबाद को उपलब्ध कराया गया और संवेदक ने निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूरा किया।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में कार्य में विलंब एवं रूचि नहीं लेने का आरोप तथ्यहीन एवं बेबुनियाद है। अतएव इस आरोप से मुक्त किया जाय।

3. सहरसा उप शाखा नहर एवं अमरपुर वितरणी में कार्यों से संबंधित मापपुस्त में दर्ज होने के पश्चात भी त्रुटिपूर्ण कार्य के सुधार हेतु सहायक अभियंता द्वारा कुछ भुगतान रोक रखी गयी थी। त्रृटि सुधार हेतु संवेदक को निदेशित किया गया। त्रुटि सुधार के उपरांत मापीपुस्त सं0 2508 एवं 2594 नोडल पदाधिकारी, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर को दिनांक 02.07.11 को पत्रांक– 0 एवं 765 के द्वारा समर्पित किया गया। उक्त परिस्थिति में मेरे द्वारा विपत्र नहीं रोका गया। सहायक अभियंता द्वारा विपत्र रोका गया। चुँकि कार्य का भुगतान प्रोपर सेक्सन में सुधार के उपरांत ही श्रेयस्कर था। अतएव मुझपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद, मनगढंत एवं तथ्य से परे है। अतः इस आरोप से मुक्त किया जाय।

4. मैंने कार्यपालक अभियंता के रूप में निष्ठापूर्वक कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन किया हूँ एवं उच्चधिकारियों के निदेश का अक्षरशः पालन किया हूँ। मेरा अधीनस्थों पर पूर्ण नियंत्रण रहा है एवं उन्हें आवश्यक दिशा निदेश देता रहा हूँ और स्मारित करता रहा हूँ। उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर ही हमेशा मुख्यालय से बाहर गया हूँ। जहॉ तक बिना अनुमति के आवेदन पत्र भेजकर बाहर जाने का आरोप है यह सरासर आधारहीन है। चुँकि कोशी कॉलोनी में ही अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का निवास स्थान है और नियमित सुबह–शाम अधीक्षण अभियंता के आवास में रहकर भी दिशा निदेश का अनुपालन करता रहा हूँ। अतएव मुझ पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद एवं दुर्भावना से ग्रस्त है। अतः इस आरोप से मुक्त किया जाय।

श्री दास द्वारा प्राप्त कराये गये जवाब की सरकार के स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गयेः–

1. राजापुर शाखा नहर के वि0 दू0 32.327 (आरोप में वि0 दू0 3.00 अंकित है) से निसृत स्कैप चैनल का अनुसंधान प्रतिवेदन एवं भू–अर्जन प्रस्ताव उपलब्ध कराने से संबंधित है। तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल, सहरसा के पत्रांक 675 दिनांक 09.06.11 के कंडिका (1) में उल्लेख है कि श्री दास आरोपित पदाधिकारी द्वारा विगत दो वर्षों से उक्त वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण कार्यान्वयन लंबित हो रहा है एवं पत्रांक 199 दिनांक 07.02.11 से स्मारित भी किया गया है। श्री दास आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि ग्रामीणों के विरोध के बावजूद अधीक्षण अभियंता एवं अन्य अभियंताओं के साथ नया एलाइन्मेंट पर सर्वेक्षण कार्य कर अनुसंधान प्रतिवेदन के साथ अधियाचना वि0 भू0 पदाधिकारी, सहरसा को पत्रांक 390 दिनांक 15.03.11 से भू– अर्जन अधियाचना प्रस्ताव समर्पित किये जाने का बोध होता है। उक्त से स्पष्ट है कि श्री दास द्वारा भू–अर्जन प्रस्ताव विलंब से तैयार किया गया। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सर्वेक्षण कार्य में अवरोध भी किये जाने की पुष्टि होती है। यद्यपि अनुसंधान प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं रहने के कारण नया एलाइन्मेंट पर सर्वेक्षण कर अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करने के बाद भू–अर्जन अधियाचना प्रस्ताव तैयार करने में समय लगने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

2. शंकरपुर लघु नहर के वि0 दू0 10.50 पर निर्माणाधीन संरचना का Hydraulic Data निरूपित कर आलेख्य स्वीकृति हेतु उपस्थापित नहीं किये जाने के कारण कार्य लंबित रहने तथा इसके लिए रूचि का अभाव से संबंधित है।

श्री दास, कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक 1182 दिनांक 03.10.09 द्वारा शंकरपुर लघु नहर **के** पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल, सहरसा को समर्पित किया गया है। श्री दास का कहना है कि लंबे अवधि के बाद टीपिकल नक्शा एवं हाईड्रोलिक डाटा उपलब्ध कराने का मौखिक निदेश अधीक्षण अभियंता द्वारा दिया गया। जबकि पत्रांक 1374 दिनांक 06.11.09 से उक्त प्राक्कलन के संदर्भ में आलेख्य डिजाईन डाटा के साथ उपलब्ध कराने का निदेश दिये जाने की पुष्टि होती है। यद्यपि श्री दास द्वारा पत्रांक 694 दिनांक 20.06.11 से टीपिकल

नक्शा समर्पित करने एवं स्वीकृत्योपरान्त पत्रांक 1296 दिनांक 03.02.12 से संवेदक को उपलब्ध कराने का बोध होता है।

3. सहरसा उप शाखा नहर एवं अमरपुर वितरणी के कार्यों के भुगतान मामले में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने, पुनः मापी लेकर भुगतान लंबित रखने से अधीनस्थों पर उचित नियंत्रण नहीं रखने तथा कार्य में अभिरूचि नहीं होने के बोध से संबंधित है।

तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल, सहरसा के पत्रांक 527 दिनांक 25.04.11 से अद्यतन मापी के आधार पर तीन दिनों के अंदर विपत्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया एवं पत्रांक 614 दिनांक 23.05.11 द्वारा 24 घंटे के अंदर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। श्री दास आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि संबंधित कार्य मापपुस्त में दर्ज होने के पश्चात भी त्रुटि सुधार हेतु सहायक अभियंता द्वारा कुछ भुगतान रोक रखा गया था। चुँकि कार्य का भुगतान प्रोपर सेक्सन में उपरांत ही श्रेयस्कर था। त्रुटि सुधारोपरांत मापीपुस्त सं0 2508 एवं 2594 नोडल पदाधिकारी, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर को दिनांक 02.07.11 को समर्पित किया गया।

किसी कार्य मद को प्राक्कलन एवं विशिष्टि के अनुरूप पूर्ण होने के उपरांत ही भुगतान हेतु मापीपुस्त में अंकित किये जाने नियमानुकूल होता है। परन्तु कार्यपालक अभियंता का भी दायित्व होता है कि नियमानुसार विपत्र का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जाय। सुधार के नाम पर विपत्र को रोक रखा जाना नियमानुकूल नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार श्री दास आरोपित पदाधिकारी द्वारा उनके दायित्व निर्वहन में कमी का बोध होता है। त्रुटि सुधारोपरांत श्री दास आरोपित पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी को विपत्र उपलब्ध करा दिया गया है।

4. मुख्यालय से बिना अनुमति के आवेदन पत्र भेजकर बाहर जाने से संबंधित है। श्री दास आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि अनुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय से बाहर गये हैं। चुँकि कोशी कॉलोनी में ही अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का निवास स्थान है। अतएव नियमित सुबह–शाम अधीक्षण अभियंता के आवास में रहकर निदेश प्राप्त कर अनुपालन करता रहा हूँ।

मुख्य अभियंता, वीरपुर के पत्रांक 3442 दिनांक 16.11.11 से श्री दास का स्पष्टीकरण संलग्न करते हुए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध अभियंता प्रमुख (उत्तर) से किया गया जिसके क्रम में श्री दास से स्पष्टीकरण पूछा गया। उक्त एवं मुख्य अभियंता, वीरपुर का पत्रांक 1319 दिनांक 11.05.12 के साथ संलग्न अभिलेखों से श्री दास को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने संबंधी कोई भी पत्राचार नहीं होने का बोध होता है। साक्ष्य के अभाव में इस आरोप को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

उक्त की विभागीय समीक्षोपरान्त आरोप सं0 1, 2, 3 को प्रमाणित एवं आरोप सं0 4 को अप्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए श्री दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है।

1. एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री राम कैलास दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, सोन नहर आधुनिकीकरण अंचल, डिहरी (रोहतास) को निम्न दण्ड दिया जाता हैः–

1. एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त आदेश श्री राम कैलास दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 649-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in